

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- ततारपुर

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा  
16/13

रजू दिनांक  
08.01.2013

अन्तिम निर्णय दिनांक  
21.05.2018

अनुवांन

1. संतरा देवी पत्नी बलवीर
2. बलवीर सिंह पुत्र ताराचन्द्र जातियान अहीर, निवासी खेडकीदौला, तहसील सोहना, जिला गुडगांवा (हरियाणा)

:—वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र घासीराम जाट निवासी बालकियान की ढाणी तन ततारपुर तहसील मुण्डावर, जिला अलवर
2. लैण्ड होल्डर जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर अलवर

:—प्रतिवादीगण


दावा—हु0ई0 दवामी बम्य तकासमा

—:अन्तिम पर्चा डिक्री:—

दिनांक:— 21.05.2018

श्री जगन्नाथ यादव वकील वादीगण एवं श्री सरजीत सिंह चौधरी वकील प्रतिवादी की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 21.05.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—


विवादित आराजी ख0 नं0 794/0.62, 808/0.53, 821/0.28, 791/0.39, 802/0.29, 803/0.97, 807/0.31, 793/0.95 है0 वाके ग्राम ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत मुताबिक प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान के नाम प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक खातेजात कायम कर लगान का निर्धारण कर हाल रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार

  
उपखण्डाधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0

मुण्डावर उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। बैंक रहन की स्थिती में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से त्रष्टण राशि वसूलनीय रहेगी एवं कुरेजात प्रस्ताव मय नजरी नक्शा "प्रदर्श-अ" निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 21.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(महेश चन्द्रपसाम) अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (एवं) राज०  
पदेन सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर)